

1- परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चौबाटी से बरमबचकुड़ी मोटर मार्ग (9.070 किमी) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेएर में) —

आरक्षित वन भूमि	- Nil
सिविल सोयम (वन स्वरूप)	- 3.492 हेक्टेएर
सिविल सोयम (वन रहित)	- 1.917 हेक्टेएर
योग	- 5.409 हेक्टेएर
निजी भूमि	- 3.1992 हेक्टेएर
कुल योग	- 8.5972 हेक्टेएर

3- प्रस्ताव विभाग का नाम—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, पी0आई0यू0,  
पी0एम0जी0एस0वाई0, डीडीहाट पिथौरागढ़।

4- वन प्रभाग का नाम—

पिथौरागढ़ वन प्रभाग।

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

5- प्रस्ताव बांडिंग किया गया है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

6- प्रस्ताव में विषयसूची भरी गई है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग— 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण पत्र संलग्न है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

11- बांज प्रजातियों की वृक्षों की प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षण का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया जा रहा है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

13- समरेखण आने वाले कुछ वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

15- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना में स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

16- क्या मानचित्र में क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

17- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण परियोजना संलग्न है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

यदि हॉ तो मुख्य वनजीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल प्रपत्रों में सही भर गया है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

21- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण कराया जाना है—हॉ/ नहीं (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी की गई भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें।)

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

22- क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

23- यदि सडक का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है—

हॉ/ नहीं  
हॉ/ नहीं

24- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है—

- 25— यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।

26— सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र में दर्शाये गये हैं— हॉ/नहीं

27— वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण—(एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हॉ/नहीं

28— लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है(5 हेठो से अधिक होने के प्रकरणों में लागू होगा)— हॉ/नहीं

29— मानचित्र व बार चाट में एकरूपता है— हॉ/नहीं

30— मलबे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है— हॉ/नहीं

अथवा मलबे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र संलग्न है— हॉ/नहीं

31— राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में संलग्न है— हॉ/नहीं

32— क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण—पत्रों की फोटोप्रतियां मूल में संलग्न हैं यदि छायाप्रति संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित हैं— हॉ/नहीं

33— यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण—पत्र संलग्न है— हॉ/नहीं

34— वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है— हॉ/नहीं

35— क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण—पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है— हॉ/नहीं

36— क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण—पत्र संलग्न हैं— हॉ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचना संलग्न कर दी गई है।

Amit

कनिष्ठ अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,  
पी०आई०य०, पी०एम०जी०एस०वाई०  
डी.डी.हाट (पिथौरागढ़)

सहायक अधिकारी  
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,  
पीओआईयू, पीएमजीएसवाई  
डीडीहाट (पिथौरागढ)

हस्ताक्षर  
प्रस्तावक विभाग / प्रभागीय वनाधिकारी

मुमारीय वन विधिका  
विधीरागढ वन प्रभाष  
विधीरापड